न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 54 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 73

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री पुष्पेन्द्र कलाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी वार्ड नं. 08, सुरपुर, भगतपुरा, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– पुष्पेन्द्र कैलाश चन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड, भगतपुरा, सुरपुर, जिला बांसवाडा (राज) फोन नं. 9549571126
2. श्री चित्रेश श्योपुरा पुत्र श्री वल्लभ कुमार श्योपुरा (फर्म मालिक) निवासी–23 गोकुल विहार, रातीतलाई लिंक रोड, विद्या कोलोनी, बांसवाडा मैसर्स– **Bholenath Foods Piplwa Shyopura G-93, Industreal Area Piplwa, Banswara**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–09–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **09–04–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **05–07–2023** को दौराने निरीक्षण 11.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स पुष्पेन्द्र कैलाश चन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड, भगतपुरा, सुरपुर, जिला बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहॉं पर **श्री पुष्पेन्द्र कलाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स पुष्पेन्द्र कैलाश चन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड, भगतपुरा, सुरपुर** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **सूजी फी फ्लो (भोलेनाथ) के 20 पैकेट प्रत्येक पैकेट 400 ग्राम के रखे हुए थे।** खाद्य पदार्थ **सूजी फी फ्लो (भोलेनाथ)** जिसमे गुणवत्ता की कमी एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **सूजी फी फ्लो (भोलेनाथ) के 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **80 / –** रू. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **सूजी फी फ्लो (भोलेनाथ) के 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1476** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/394 दिनांक 24–07–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 780 दिनांक 14–07–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1476** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री पुष्पेन्द्र कलाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी वार्ड नं. 08, सुरपुर, भगतपुरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– पुष्पेन्द्र कैलाश चन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड, भगतपुरा, सुरपुर, जिला बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– Bholenath Foods Piplwa Shyopura G - 93, Industreal Area Piplwa, Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– मैसर्स– Bholenath Foods Piplwa Shyopura G - 93, Industreal Area Piplwa, Banswara** से यह पत्र व्यवहार करने पर अग्रीम माल खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया। विक्रेता द्वारा **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ) का** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12–04–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 03–09–2024 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 27–05–2024 को श्री पंकज बरोडिया अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया व अप्रार्थी सं. 2 ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 13.08.2024 व आज दिनांक 09.09.2024 का अप्रार्थी सं. 1 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 1 व उनके अधिवक्ता को सायं. 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी सं. 1 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं.1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाकर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 2 ने आज दिनांक 09.09.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार करता है अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपी सं. 2 की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/394 दिनांक 24–07–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 780 दिनांक 14–07–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1476** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **सूजी फ्री फ्लो (भोलेनाथ)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री पुष्पेन्द्र कलाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी वार्ड नं. 08, सुरपुर, भगतपुरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– पुष्पेन्द्र कैलाश चन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड, भगतपुरा, सुरपुर, जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), श्री चित्रेश श्योपुरा पुत्र श्री वल्लभ कुमार श्योपुरा (फर्म मालिक) निवासी [illegible] विहार, सतीतलाई लिंक रोड, विद्या कोलोनी, बांसवाडा मैसर्स– Bholenath Foods Piplwa Shyopura G-93, Industreal Area Piplwa, Banswara** को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र) **से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03—09—2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested